

**Form-I**  
(for linear projects)  
Government of Himachal Pradesh.

**Office of the District Collector, Kullu, Distt. Kullu, H.P.**

No. 1542 /DRA

Dated:- 29/8/2017

**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **8.18.72 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer, HPSEBL Larji** for construction of **11 KV HT Line** in Kullu district falls within jurisdiction of **Gram Panchyat Gadaparli & G.P. Shanghad Village in Banjar** Tehsil.

It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **8.18.72 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure .
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

  
(Yunus)  
**District Collector,**  
**Collect Kullu.**  
Kullu Distt. Kullu (H.P.)

**Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act (FRA), 2006.**

A meeting of the District Level Committee of Kullu District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship / Chairpersonship of Sh. Yunus, Deputy Commissioner, Kullu on 28-07-2017 at 04:00 PM at Kullu in which the application(s) claiming rights in Gram Panchvat Gadaparli & G.P. Shanghad forest area under FRA, 2006, of the following applicant(s), duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee(s) of Kullu Sub Division(s), were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.


After scrutiny of the documents and detailed discussions the following decisions were taken on each application :-

**Name of Applicant**

Executive Engineer, HPSEBL, Larji.  
C/o 11 KV HT Line to the un-electrified  
villages Shagor, Shakti & Marror.  
Place : Kullu  
Dated:

**Decision (Admitted/Rejected)**

Admitted

  
DC-cum Chairman/Chairperson,  
District Level Committee,  
Kullu District HP.  
Collector  
Kullu Distt. Kullu (H.P.)

OFFICE OF THE SDO (CIVIL) BANJAR DISTRICT KULLU (HP)

Proceeding of the meeting Sub Divisional level committee constituted under Schedule Tribe and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub Divisional level committee of Banjar Sub Divisional Constituted under FRA 2006 was held under the chairpersonship of Mr. M.R. Bhardwaj SDO (Civil) Banjar on 2-2-2017 at 11AM at Banjar place in which applications claiming Rights in Banjar Forest areas under FRA 2006 of the following applicants (s),duly processed and recommended by the Forest Rights committee (s) of Gadaparli, G.P. Gadaparli, ,FRC-Shanghar were discussed to consider the same for Recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions the following decision were taken on each application.

<u>Name of applicant</u>	<u>Decision(Recommended/Not recommended)</u>
1. HPSEB Larji (8-18-72 Hect) (Shakti- Marod- Shagor)	Recommended

Place: Banjar  
Dated: 2-2-2017

  
SDO(c) cum-chairman/chairperson  
Sub Divisional Committee Banjar.

20-06-09-03-2017 को अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत श्री यूनूस, उपायुक्त कुल्लू की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवाही।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों एवं गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया :-

1. डा0 नीरज कुमार, वन गण्डल अधिकारी कुल्लू जिला कुल्लू।
2. श्री सरोज भाई पटेल, वन गण्डल अधिकारी बन्जार जिला कुल्लू।
3. श्री किशोरी लाल, वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र आरसू स्थित लूहरी।
4. श्री हितेश्वर सिंह, सदस्य।
5. श्रीमति प्रेम लता ठाकुर, सदस्य।

सर्वप्रथम उपायुक्त महोदय ने सभी अधिकारियों एवं गैर सरकारी सदस्यों का बैठक में भाग लेने का धन्यवाद किया। उसके बाद अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, 2006 पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न प्रयोजनों हेतु जो वन भूमि हस्तांतरित की जानी प्रस्तावित है, को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। बैठक में निम्नलिखित योजनाओं (जिनमें ग्राम सभा तथा उप गण्डल स्तरीय कमेटी का जन्मापति प्रमाण पत्र/शिफारिश सलग्न है) के लिए प्रस्तावित वन भूमि के उपरोक्त अधिनियम हेतु समिति में विचार विमर्श किया गया :-

Sr. No.	Name of Company / Department	Purpose	Area	Name of Gram Sabha/Nagar Panchayat	Name Sub-Divisional Level Committee.	of
1	District panchayat Officer Kullu	Construction of Malot Thach Dragi-Ra-Shoran to ShyamNagar Road	4-2 Bighas	Manjhali 35/67	Kullu	
2	District panchayat Officer Kullu	Construction of Jeep Road Manglashwar Temple to Suani Badi Nali and Soia Badathach.	00.00.85 Bighas	Ratocha 186/348	Kullu	
3	District panchayat Officer Kullu	Construction of Dumping Site	4-16 Bighas	Kasol 295/581	Kullu	
4	District panchayat Officer Kullu	Construction of Parking	4-00-00 Bighas	Kasol 295/581	Kullu	
5	Education Department	Construction of GPS Building Banogi	0.08.59 Hec.	Banogi 159/214	Kullu	

	Executive Engineer, HPSEBL Larji	Construction of 11 KV Ht Line to the un- electricified Villages Shagor, Shakti & Marmor	2.1825 Hec.	Gadaparli 141/270	Banjar
8	Executive Engineer, Outer Seraj Division HPPWD Nirmand	Construction of Tiluna to Nishani (Baddal) Road	2.43 Hec.	Taluna 299/460	Anni
9	M/s Dev Bhumi Hydro Power Project Ltd Kandugad	Construction of Dev Bhumi Hydro project.	1 Hec.	Karana 324/633	Anni
9	Executive Engineer, I&PH Division Anni	Construction of Ground Water Supply Scheme Thachwa to Jagatkhana	0.0769 Hec.	Tunan 380/580	Anni
10	Executive Engineer, Outer Seraj Division HPPWD Nirmand	Construction of Koil to Bashla road, Tehsil Nirmand.	7.929 Hec.	Shilli 214/420	Anni
11	Education Department	Construction of Building G. D. Collage Nirmand	11.18 Bighas	Bhalsi 392/704	Anni
12	M/s Hydro Project SJVNL Luhari-I	Construction of Hydro Project SJVNL Luhari-I Tehsil Nirmand	37.4355 Hec.	Dehra 363/590	Anni
13	M/s Paras Stone Crusher, VPO Burwa, Tehsil	Construction of Stone Crusher.	02.17.54 Hec	Palchan 138/265	Manali
14	M/s Jawala Hydro Power Project Pvt. Ltd.	Construction of Small Hydro Project	02.17.60 Hec.	Prini 71/140	Manali
15	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	0-96-70 Hec.	Hat 715/1420	Kullu
16	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	1-31-66 Hec.	Naraish 585/1150	Kullu
17	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	0-74-43 Hec.	Bashona 555/1142	Kullu
18	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	01-22-60 Hec.	Bada Bhuien 712/1400	Kullu
19	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	0-90-58 Hec.	Jia 544/1087	Kullu

	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	1. Shaleen 0-62-44 Hec. 2. Kalath 1-95-14 Hec. 3. Parsha 2-80-32 4. Gadherni 1-79-69 Hec. Total= 7-17-59 Hec	Shaleen 84/138 84/136 75/149 70/103	Manali
37	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	0-84-70 Hec.	Nasogi 130/254	Manali
38	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	0-68-72 Hec.	Vashisht 155/306	Manali

उपरोक्त मद संख्या को समिति ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।

मुद्रांकन संख्या 574-78 / डी0आर0ए0  
प्रतिलिपि :-

दिनांक:- 27/03/2017

(युनुस)

उपायुक्त कुल्लू।  
COLLECTOR Kullu

- डा० नीरज कुमार, वन मण्डल अधिकारी कुल्लू जिला कुल्लू।
- श्री सरोज भाई पटेल, वन मण्डल अधिकारी बन्जार जिला कुल्लू।
- श्री किशोरी लाल, वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र आरसू स्थित लूहरी।
- श्री हितेश्वर सिंह, सदस्य।
- श्रीमति प्रेम लता ठाकुर, सदस्य।

(युनुस)

उपायुक्त कुल्लू।  
COLLECTOR Kullu

6

OFFICE OF THE SDO (CIVIL) BANJAR DISTRICT KULLU (HP)

Proceeding of the meeting Sub Divisional level committee constituted under Schedule Tribe and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub Divisional level committee of Banjar Sub Divisional constituted under FRA 2006 was held under the chairpersonship of Mr. M.R. Bhardwaj SDO (Civil) Banjar on 2-2-2017 at 11AM at Banjar place in Which applications claiming Rights in Banjar Forest areas under FRA 2006 of the following applicants (s),duly processed and recommended by the Forest Rights committee (s) of Gadaparli, G.P. Gadaparli, ,FRC-Shanghar were discussed to consider the same for Recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions the following decision were taken on each application.

<u>Name of applicant</u>	<u>Decision(Recommended/Not recommended)</u>
1. HPSEB Larji (2-1825 Hect) (Shakti- Marod- Shagor)	Recommended

Place: Banjar  
Dated: 2-2-2017

*HR*

SDO(c) cum-chairman/chairperson  
Sub Divisional Committee Banjar.

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति  
ग्राम सभा... गाडापारली  
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या... 02

दिनांक... 10/4/16

वन अधिकार समिति ग्राम सभा गाडापारली की बैठक आज दिनांक 10/4/16  
को 11 बजे स्थान मंडाण में श्री/श्रीमति नगल चंद  
की अध्यक्षता में की गई जिसमें 169 मंडाण मंडाण गांव के अनुसूचित जनजाति  
और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत  
WPF Majhan जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें H.P.S.G.B. विभाग द्वारा 11.12.14 HT Line के  
निर्माण के लिए 2.0825 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त  
हुए गांववासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत  
दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों  
का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र.सं.	* पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1			
2		<u>WPF Majhan</u>	

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र.सं.	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	<u>Shakti Shagar</u>		
2	<u>Maror</u>		

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

Majhan जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान... मंडाण  
दिनांक... 10/4/16  
अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता  
ग्राम सभा

\* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।  
\*\* प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

प्रधान [Signature]  
वन विकास समिति  
ग्राम पंचायत गाडापारली वाड  
मलाहण शावटी जिला कुल्लू हिप्र

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा 211/514+2 रानी  
 प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक.....

प्रस्ताव संख्या 18  
 जंगल 141/270

ग्राम सभा 211/514 रानी की बैठक आज दिनांक 15/8/2016 को 11 AM  
 में श्री/श्रीमति श्री/श्रीमती की अध्यक्षता में  
 गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत  
 वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत W.P.F. Majhan जंगल/वन  
 क्षेत्र में (जिसमें H.P.S.C.B. विभाग द्वारा II R.V.H.T. Line के निर्माण के लिए 8-18.22 हेक्टेयर वन  
 भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हुए इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की  
 सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासीयों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ  
 प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का  
 दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

- |        |                           |               |                     |
|--------|---------------------------|---------------|---------------------|
| क्र०स० | * पात्र ग्राम वासी का नाम | जंगल का नाम   | वन अधिकार का ब्यौरा |
| 1.     | Shakti, Shagor            | W.P.F. Majhan |                     |
| 2.     | Manax                     |               |                     |

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।  
 उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

- |        |                           |
|--------|---------------------------|
| क्र०स० | * पात्र ग्राम वासी का नाम |
| 1.     | Shakti, Shagor            |
| 2.     | Manax                     |

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।  
 इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार W.P.F. Majhan जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता  
 ग्राम सभा.....

\* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।  
 \*\* प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

Pradhan Manax  
 Gram Panchayat Gadaparli  
 Dev. Block Panjar Distt. Kullu (H.P.)

3

Annexure - 7

5

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा .....  
विकास खण्ड शाहपारली जिला कुल्लू (हिोप्रो)  
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 15/8/16

गणपूर्ति 141/270

प्रस्ताव संख्या 18

विषय: H.P.S.E.B. Talabot विभाग/संस्था को Shakti - Maroud  
Shugad के निर्माण हेतु W.P.F. Majhan  
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित S-1872 हेक्टेयर वन भूमि के  
उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा शाहपारली पंचायत की बैठक आज दिनांक  
15/8/2016 को 11 बजे स्थान निहारनी में  
की गई जिसमें H.K.B. H.T. Line (H.P.S.E.B.) विभाग/संस्था को H.K.B. HT Line  
के निर्माण हेतु W.P.F. Majhan जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित  
S-1872 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित S-1872 हेक्टेयर वन भूमि को Shakti  
Maroud, Shugad निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा शाहपारली की सहमति दी जाती है।

स्थान .....  
दिनांक .....

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता  
ग्राम सभा .....

Pradhan श्रीग चंद  
Gram Panchayat Gachparli  
Dev. Block Banjar Distt. Kullu (H.P.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या... 0.2

दिनांक... 10/7/16

वन अधिकार समिति ग्राम सभा 21145 की बैठक आज दिनांक 10/7/16  
को लपाहा 11 बजे स्थान लपाहा में श्री/श्रीमति पुनी लाल  
की अध्यक्षता में की गई जिसमें 16/3/2016 गांव के अनुसूचित जनजाति  
और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत W.P.F  
लपाहा जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें H.P.S.B.L विभाग द्वारा 11K & HT Line के  
निर्माण के लिए 6/04/16 फटेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त  
हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत  
दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों  
का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र०स०	* पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.	<u>Shakti Shagar</u>	<u>W.P.F लपाहा</u>	<u>लपाहा</u>
2.	<u>Maror</u>		

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र०स०	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	
2.	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

लपाहा जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान लपाहा  
दिनांक 10/7/16  
अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता  
ग्राम सभा

- \* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
- \*\* प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

Chumi Lal  
प्रधान  
वन वार्ड विकास कमेटी लपाहा  
वार्ड न.5, ग्राम पंचायत शांघड़  
जिला कुल्लू (हि.प्र.)

Annexure-V

Annexure-V

अनुरोधित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....  
विकास खण्ड शा.वस जिला बंजारा (हि0प्र0)  
वज/2  
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 16/1/2017

गणपूर्ति 270 / 333

प्रस्ताव संख्या 18

विषय: HPSEBL Thalant विभाग/संस्था को Shakti-Maraud  
Shugad के निर्माण हेतु W.P.F. Majhan  
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 8-1872 हेक्टेयर वन भूमि के  
उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा शा.वस पंचायत की बैठक आज दिनांक 16/1/2017  
को 11.00 बजे स्थान मंडाल में  
की गई जिसमें 11 KV HT Line (HPSEBL) विभाग/संस्था को 11 KV HT Line  
के निर्माण हेतु W.P.F. Majhan जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित  
8-1872 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुरोधित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 8-1872 हेक्टेयर वन भूमि को Shakti-Maraud  
Shugad निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा शा.वस की सहमति दी जाती है।

स्थान मंडाल  
दिनांक 16/1/2017

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता  
ग्राम सभा.....

S D L C and Metering accordingly



हस्ताक्षर Savitri Devi  
दिनांक 16/1/2017

